

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 4982/2025

मंजू रानी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अजीत प्रताप कुशवाहा, आनंद कुशवाहा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा पटल पर उपलब्ध मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
- यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला जौनपुर (प्रत्यर्थी संख्या 5) को निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 11(1) के तहत लंबित अपील संख्या 202454143600003442/2024 (मंजू रानी बनाम उज्जवल कुमार एवं अन्य) को निर्धारित अवधि के भीतर तय करें।"

- यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने चकबंदी अधिकारी द्वारा यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध एक अपील प्रस्तुत की है, जो दिनांक 26.04.2024 से विचाराधीन लंबित है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
- इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी (प्रत्यर्थी संख्या 5), जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को निर्देशित किया जाता है कि वे इसे शीघ्रता से तय करें। यह प्रक्रिया अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर पूर्ण की जाए।
- उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

22 जनवरी, 2026

विनय